

वर्ष 2047 तक भारत करेगा छह मेगा-पोर्ट विकसित

स्रोत: पी. आई. बी

बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के हालिया अपडेट में वर्ष 2047 तक भारत में मेगा-पोर्ट के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

- वर्ष 2047 तक मेगा पोर्ट के रूप में विकास के लिये छह बंदरगाह समूहों की पहचान की गई।
 - 300 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक क्षमता वाले चार बंदरगाह क्लस्टर:
 - कोचीन-वडिजिम पोर्ट क्लस्टर, गैलाथिया दक्षिणी खाड़ी पोर्ट, चेन्नई-कामराजार-कुड्डालोर पोर्ट क्लस्टर, पारादीप और अन्य गैर-प्रमुख पोर्ट क्लस्टर।
 - 500 MTPA से अधिक क्षमता वाले दो बंदरगाह क्लस्टर:
 - (i) [दीनदयाल और टुना टेकरा](#) और (ii) [जवाहरलाल नेहरू - वधावन](#)।
- प्रमुख बंदरगाह समुद्री अमृतकाल वज़िन, 2047 के हिससे के रूप में क्षमता और बुनियादी ढाँचे को बढ़ा रहे हैं।
 - बंदरगाह विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए [सार्वजनिक-नज़िी भागीदारी \(PPP\)](#) और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।

Major Ports in India



- Ports in India are classified as **Major** and **Minor Ports** according to the jurisdiction of the Central and State government as defined under the **Indian Ports Act, 1908** i.e. Major Ports are owned and managed by the Central Government and Minor ports are owned and managed by the State Governments.
- The **Major Port Authorities Act, 2021** provides for regulation, operation and planning of major ports in India and provide greater autonomy to these ports. It replaced the Major Port Trusts Act, 1963.
- There are **12 major ports**. **13th Major Port** (under construction) is **Vadhavan port, Maharashtra**.

//

और पढ़ें: [वड्डिजिम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना](#)

